

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- विधानसभा/संस्थापन/ 2024/ 2284

दिनांक:- 22/5/24

विडियो कॉन्फ्रेंस आदेश

श्रीमान निदेशक (आरसीएच) महोदय के आदेश क्रमांक: एफ.6(33)डीईओ / पक / 2023 -24 / 00471/1061 दिनांक 21.05.2024 के संदर्भ में श्रीमान निदेशक (जनस्वास्थ्य) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.2024 को समय मध्याह्न 01:00 से 02:00 बजे तक 15वीं राजस्थान विधानसभा के लम्बित प्रश्नों/आश्वासन/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख/याचिकाओं तथा ई-फाइल व ई-डाक के शीघ्र निस्तारण हेतु समीक्षा बैठक विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जा रही है। उक्त वी.सी. में निदेशालय/जिला स्तर से निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना है:-

क्र.सं.	निदेशालय स्तर पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
1.	निदेशक (जनस्वास्थ्य)	समस्त संयुक्त निदेशक जोन राजस्थान
2.	अति० निदेशक (चिकित्सा प्रशासन)	समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान
3.	संयुक्त निदेशक (योजना)	समस्त मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी राजस्थान
4.	संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन/मॉनिटरिंग)	जिला शिशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारी राजस्थान
4.	संयुक्त निदेशक (सूचना तकनीकी)	अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (पं.क.)
5.	उप निदेशक (विधानसभा)	

उक्त वी.सी. में भाग लेने हेतु निदेशालय में कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी आरएचएसडीपी के मिटिंग हॉल एवं जिलों में कार्यरत सभी अपने जिले से समय पर वी.सी. से जुड़ना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- विधानसभा/संस्थापन/ 2024/ 2284

दिनांक:- 22/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
4. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक (सूचना तकनीकी), मुख्यालय।
8. उप निदेशक (विधानसभा), मुख्यालय।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आई.टी. को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वी.सी. के आयोजन की व्यवस्था करावें।
13. भण्डार अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वी.सी. के लिए आरएचएसडीपी के मिटिंग हॉल बुक करने एवं चाय नाश्ते की व्यवस्था करावें।
14. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि सम्बंधित को ई-मेल आईडी पर मेल कराने एवं विभागीय वेब साईड पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

22/05/2024